

आदेश ता०

से

/तक

जिला गढ़वा विधि का संख्या 54/2016-17 / वर्ष 2016-17

केश का प्रकार:- वकास भूमि का लगान निर्धारण

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर वि  
कार्रवाई के बारे  
में विवरणी


17-09-2016

श्री रामनाथ ठाकुर वैशं / वलद श्री स्व. जानीरी ठाकुर  
ग्राम दिपवां / थाना जाढ़वा / जिला जाढ़वा  
ने ग्राम दिपवां / में स्थित भूमि का दा० खा० / जमावंदी कायम / लगाना  
निर्धारण हेतु आवेदन किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

भूमि का विवरण

ग्राम/थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	माल
ग्राम- दिपवां	12	199	0.05 ए०	
थाना- जाढ़वा				

उक्त आवेदन का जाँच हेतु हल्का कर्मचारी को भेजें तथा  
जाँच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम दिनांक 16.12.2016 / तक मांग करें।  
अभिलेख उसी तिथि तक प्रस्तुत करें।

  
17/09

अंचल अधिकारी

गढ़वा

10-03-2017

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। हल्का कर्मचारी ने राजस्व  
कागजाती से मिलान करके जाँच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से समर्पित किया है  
जिसका अवलोकन किया।

अतः आवेदन भूमि का एक आम इस्तहार निर्गत करें तथा  
दिनांक 30.03.2017 / तक आपति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 31.03.2017 को रखें।

  
10/03

अंचल अधिकारी

31.04.17

अभिलेख उपस्थापित किया गया। निम्नलिखित नियम  
तक किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं  
दिया गया।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा  
समाप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया  
है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम दिपुवां के शतान सं. 12  
लॉट सं. 199 रकबा 0.05 एठ भूमि सर्वे शतमान  
के अनुसार वकास शारी की भूमि है। शतमान वकास  
मालिक के पुत्र गिरजा नरामण सिंह ने शदा वंदोवस्ती  
पत्र आवेदकों के दादी स्व. रामकल्या देवी पति  
स्व. पुरन ठाकुर को क्षतिपूर्ति अभिलेख सं. 206/55-56  
के द्वारा दिया जा विवरणी में दर्ज है। उक्त भूमि पर  
आवेदक का अवासीय मकान है जो शान्तिपुरी में परतल  
कब्जा है। आवेदक के नाम से लगान निर्धारण किया जा  
सकता है।

अंचल अमीन द्वारा समाप्त जाँच प्रतिवेदन में  
उल्लेख किया गया है कि स्व. लाल जॉय पैमाइस के  
अधार पर आवेदित भूमि में रामनाथ ठाकुर वेंगरह  
का पक्का मकान बना हुआ है और परतल कब्जा में है।

अंचल अमीन हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक  
द्वारा समाप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत  
राजस्व कागजात का अवलोकन किया। अवलोकने पर उक्त  
पाया गया कि ग्राम दिपुवां के शतान सं. 12 लॉट  
सं. 199 रकबा 0.05 एठ भूमि शत सर्वे शतमान  
में शतमान वकास मालिक के पुत्र गिरजा नरामण  
सिंह के नाम से दर्ज है। गिरजा नरामण सिंह ने  
क्षतिपूर्ति अभिलेख सं. 206/55-56 के द्वारा पत्रा के  
माध्यम से आवेदकों के दादी स्व. रामकल्या देवी पति पुरन  
ठाकुर को दिया है। प्रस्तावित भूमि पर आवेदकों का  
परतल एवं मकान है।

अतः अंचल अमीन हल्का कर्मचारी एवं अंचल  
निरीक्षक द्वारा समाप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा  
प्रस्तुत राजस्व कागजात के अधार पर ग्राम दिपुवां के  
शतान सं. 12 लॉट सं. 199 रकबा 0.05 एठ भूमि  
का रामनाथ ठाकुर वेंगरह पिता स्व. जनारी ठाकुर ग्राम  
दिपुवां के नाम से लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा की  
जाती है।

अभिलेख स्वीकृति हेतु उपसमाप्त भूमि सुधार  
उपस्थापित है।

SHOT ON MI A2  
MI DUAL CAMERA

31/04

अंचल अमीन  
उदवा

अंचल अधिकारी  
उदवा

आदेश का  
क्रम सं० और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी  
तारीख सहित

28.5.18

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, गढ़वा के द्वारा लगान निर्धारण वाद सं० 54/2016-17 का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, गढ़वा के द्वारा अभिलेख के आदेश फलक में अंकित किया गया है कि ग्राम- दीपवां के खाता सं० 12, प्लॉट सं० 199, रकबा 0.05 ए० भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है। खतियान बकास्त मालिक के पुत्र गिरजा नारायण सिंह ने बन्दोबस्ती पट्टा के माध्यम से आवेदक के दादी स्व० रमकलिया देवी पति- स्व० पुरन ठाकुर को क्षतिपूर्ति अभिलेख सं० 206/55-56 के द्वारा दिया गया है। उक्त भूमि पर आवेदक राम नाथ ठाकुर वगै० पिता स्व० गनौरी ठाकुर का मकान होने संबंधित प्रतिवेदन अंकित किया गया है। अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा आम ईशतहार निकाली गई है जिसमें किसी के द्वारा आपत्ती दर्ज नहीं किया गया है। प्रस्तावित भूमि भू-दान, भू-हदबंदी, वन भूमि, एवं सार्वजनिक उपयोग से बाहर है। तथा सी०एन०टी०एक्ट से मुक्त है।

अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा दिये गए जॉच रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत इस कार्यालय से भी दिनांक- 11.04.2018 को आम ईशतहार निर्गत की गई तथा स्थल पर लोगो से पुछताछ कराया गया है जिसमें निर्धारित तिथि 27.04.2018 एवं वर्तमान समय तक किसी के द्वारा कोई आपत्ती दर्ज नहीं की गई है।

अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा लगान निर्धारण वाद सं० 54/2016-17 में अंकित जॉच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम- दीपवा के खाता 12 प्लॉट न०-199 रकबा-0.05 एकड़ भूमि को आवेदक रामनाथ ठाकुर एवं अन्य पिता स्व० गनौरी ठाकुर ग्राम दीपवा के के नाम से लगान निर्धारण की ..... दी जाती है।

लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा।

लेखापित एवं संशोधित

28.5.18

उप समाहर्ता भूमि सुधार,  
गढ़वा।

28.5.18


उप समाहर्ता भूमि सुधार,  
गढ़वा।

11.06.2018

आमिनेस उपस्थापित किया।

उपसमाहती भूमि सुधार गढ़वा के पत्रांक  
180 दिनांक 29.05.2018 का प्राप्त पत्र  
में प्रगत मिथीराज वाद सं. 54/2016-17  
में स्वीकृति के पश्चात आमिनेस प्राप्त  
हुआ है।

सहायक तीन प्रति में बह सॉल तमार  
कर से संबंधित हफ्ता कर्मचारी को हस्ता  
करने द्वारे अनुमान प्रतिकेवल की मांग  
करें।

  
आंशिक अधिकारी  
गढ़वा

## RENT ROLL

Schedule to be issued un Assessment of rent on Kabil Lagan & Korkar land

DIST-GARHWA, Sub Division GARHWA Anchal - गढ़वा

Name of applicant with Father's Name and full address	Name of Village in which settled in Thana and Thana No.	Khewat No	Halka No	Circle	Class of land	Particular of land			Avrage rent of rent grand rent fixed	Rent fixed	Remarks
						Khata No.	Plot No.	Area			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रामनाथ ठाकुर एवं शाल्य पत्नी - स्व. गणेश ठाकुर 617 ग्राम - दीपका	दीपका		IV	गढ़वा	बकास भूमि	12	199	0.05 ए	5.00 रुपये	5 रुपये	जमींदारी उन्मूलन की तिथि से वसूलणीय

(1) कुल रकबा 0.05 ए

(2) कुल वार्षिक लगान 5.00 रुपये (पांच रुपये)

नोट :- लगान की वसूली जमींदारी उन्मूलन तिथि से की जाएगी।

*(Handwritten signature)*  
4.8.18

*(Handwritten signature)*  
18/8/18

*(Handwritten signature)*  
11/8/18  
अंचल अधिकारी  
गढ़वा।